प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 03.08.2025**

थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कस्बा पुखरायां में दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि में सोने–चांदी के आभूषण व रूपये चोरी करने की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तगण के कब्जे से एक जोडी कंगन पीली धातु, एक अंगूठी पीली धातु, एक स्कूटी नं0 UP78EL5003/- तथा ₹ 5500 नगद हुए बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 24.10.2024 को श्री नीतेश कुमार पुत्र स्व० रामप्रसाद ओमर निवासी बाईपास रोड, कृष्णा ढाबा के पास पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि को 02 अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोडकर घर के अन्दर घुसकर ₹ 25,00,000/- नगद (पच्चीस लाख रुपये), सोने-चांदी के आभूषण, 03 हार सेट, 08 चेन, 10 अंगूठी, 05 पैण्डल, 05 कान के बाले, 04 चूड़ियां, 08 नाक की कील, एक किलो चांदी के सिक्के, 10 सोने के सिक्के, आधा किलो चांदी व अन्य बहुमूल्य सामान कीमत करीब 15 लाख रुपये (कुल अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये) की चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 314/2024 धारा 331(4)/305 BNS बनाम 02 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 02.08.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्कूटी से मूसानगर की तरफ से आ रहा है जो कुछ दिन पूर्व पुखरायां में हुई चोरी में सम्मिलित रहा है, फिर से घटना कारित करने के उद्देश्य से पुखरायां बाजार की तरफ आ रहा है और पुनः चोरी की घटना को अंजाम देना चाहता है। उक्त सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस उक्त स्कूटी सवार व्यक्ति के आने का इन्तजार करने लगी तभी कुछ देर बाद आती-जाती गाडियों के प्रकाश में स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति मूसानगर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया और नोनापुर मोड से पुखरायां की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया तभी मुखबिर ने इशारा करके बताया कि साहब यह वही व्यक्ति है जिसने पूर्व में पुखरायां में चोरी की है और यह बताकर मुखबिर मौके से चला गया। तब हम लोग रोड पर स्कूटी के सामने आ गये तो स्कूटी सवार व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर स्कूटी मोडकर पुनः मूसानगर की तरफ जाने लगा तो पुलिस द्वारा स्कूटी सवार व्यक्ति को घेरकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से भागने का कारण व नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शानू करीब उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार निवासी शिवगंज चौराई, थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर, बताया तथा तलाशी लेने पर शानू उपरोक्त के कब्जे से सफेद कागज में लपेटी हुई एक अंगूठी पीली धातु व ₹ 5500 बरामद हुए, जिसके सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह अंगूठी पिछले साल अक्टूबर माह में मैंने अपने साथी शादाब उर्फ छोटू पुत्र साबिर जो मेरे ही गांव का है, के साथ मिलकर पुखरायां पटेल चौक के पास हाईवे के किनारे बने घर के अन्दर से चोरी की घटना को अंजाम देकर प्राप्त की थी। उस चोरी में हम दोनों लोगों को काफी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात व लगभग 20 लाख रूपये (बीस लाख रूपये) नगद मिला था। चोरी के जेवरात से मैंने एक अंगूठी निकाल ली थी तथा रूपयों का आपस में बंटवारा कर लिया था। इसके बाद कुछ सोने के गहने शादाब ने अपने पास रखे थे बाकी सोने-चांदी के गहने व चांदी के सिक्के हम लोगों ने बिधनू में सोनार आलोक कुमार गुप्ता की दुकान में ले जाकर कुल 06 लाख रूपये में बेच दिये थे। 03 लाख रूपये आलोक कुमार गुप्ता ने हम लोगों को तुरन्त दे दिया था तथा 03 लाख रूपये 03 दिन बाद देने को कहा था जिसे शादाब उर्फ छोटू लेकर आया था जिन रूपयों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था व एक चोरी हम लोगों ने शिवली के पास की थी। कुछ दिनों बाद शादाब चोरी में घाटमपुर थाने

से पकडा गया और जेल चला गया जो माती जेल में बन्द है। मैं मेरे हिस्से में मिले रूपयों से खर्च चलाता रहा। चोरी में मिले नगदी तथा जेवर बेचने से मेरे हिस्से में जो रूपये आए थे वह रुपये मैंने अपने ऐशो-आराम व अपने बहनोई की बीमारी में खर्च कर दिये। बरामद पैसों के सम्बन्ध में बताया कि मैंने व शादाब ने अप्रैल महीने में शिवली की तरफ एक गांव प्रतापपुर खास में चोरी की थी उस चोरी में जो रुपये मिले थे हम लोगों ने आपस में बांट लिए थे ये उसी चोरी के रुपये है शेष रुपया मेरे द्वारा खर्च हो गया है। इस अंगूठी को मैं लकी मानकर अपने पास रखता हूँ। तत्पश्चात अभियुक्त शानू उपरोक्त द्वारा बतायी गयी अंगूठी की शिनाख्त करने हेतु मुकदमा उपरोक्त के वादी मुकदमा नीतेश कुमार उपरोक्त को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष अवगत कराया गया तो कुछ देर बाद ही नीतेश कुमार उपरोक्त मौके पर उपस्थित आये व बरामद अंगूठी देखकर अपनी पत्नी की अंगूठी होने की बात बतायी और बताया कि दिनांक 23/24.10.2024 की रात में मेरे घर से जो गहने चोरी हो गये थे उसमें यह अंगूठी भी चोरी हुई थी। स्कूटी नं0 UP78EL5003 के कागजात मांगने पर कोई कागजात नही दिखा सका और बताया कि साहब यह स्कूटी शादाब उर्फ छोटू उपरोक्त की है, वह चोरी के मुकदमें मे जेल चला गया और अब मैं ही इसे प्रयोग करता हूँ तथा मैं रेकी करने में भी इसी स्कूटी का इस्तेमाल करता हूँ। स्कूटी उपरोक्त को अंतर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। पकडे गये व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 331(4)/305/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। तत्पश्चात थाना भोगनीपुर पुलिस मय वादी मुकदमा नीतेश कुमार उपरोक्त मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शानू उपरोक्त को साथ लेकर मय सरकारी वाहनों से माल बरामदगी की प्रत्याशा में अभियुक्त शानू उपरोक्त की निशादेही पर सोनार आलोक कुमार गुप्ता निवासी बिधनू जनपद कानपुर नगर की दुकान पर पहुंची। दुकानदार आलोक दुकान बंद करने जा रहा था कि थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा आलोक कुमार गुप्ता का गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शानू उपरोक्त से आमना-सामना कराते हुए पूछताछ की गयी तो आलोक कुमार गुप्ता घबरा गया। सोनार आलोक कुमार गुप्ता से उसका पूरा नाम-पता पूछा गया तो उसने अपना नाम-पता आलोक कुमार गुप्ता उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र श्री रामआसरे गुप्ता निवासी ग्राम खेरसा, थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर बताया। अभियुक्त द्वारा बेचे गये सामान के बारे में पूछने पर आलोक कुमार गुप्ता उपरोक्त बताने में आनाकानी करने लगा तभी गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शानू उपरोक्त ने दुकान के अन्दर बने कांच के पारदर्शी दराज के अन्दर रखे एक जोडी पीली धातु के कंगन को देखकर बताया कि साहब यह वही कंगन है जो हमने बहुत सारे चोरी के गहनों के साथ इसको बेचा था। इस बात को सोनार आलोक कुमार गुप्ता उपरोक्त द्वारा स्वीकार किया गया। थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा शेष गहनों के बारे में पूछने पर सोनार आलोक कुमार गुप्ता उपरोक्त ने बताया कि शेष गहने बेचकर खत्म कर दिये हैं। दुकान से बरामदशुदा कंगन को वादी मुकदमा नीतेश कुमार उपरोक्त द्वारा देखकर बताया गया कि साहब यह कंगन भी मेरे घर से चोरी हुए थे। बरामदशुदा कंगन को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही अभियुक्त आलोक कुमार गुप्ता उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 317(2)/317(4) बी0एन0एस0 हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शानू उपरोक्त से बरामद रूपयों के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक थाना शिवली प्रवीन कुमार यादव से घटना के सम्बन्ध में जरिये दूरभाष जानकारी की गयी तो उनके द्वारा बताया कि थाना शिवली में ग्राम प्रतापपुर खास में चोरी की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 110/2025 धारा 305ए बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है। जिसकी विवेचना प्रचलित है विवेचक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गये हुए है। जिनको सूचना दी जा रही है।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 314/2024 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 में विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. शानू उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी शिवगंज चौराई थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर ।
2. आलोक कुमार गुप्ता उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र श्री रामआसरे गुप्ता निवासी ग्राम खेरसा थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर ।

बरामदगी का विवरण-

01 जोडी कंगन पीली धातु, 01अंगूठी पीली धातु, 01 स्कूटी नं0 UP78EL5003 तथा 5500 रूपये नगद।

अभियुक्त शानू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 314/2024 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 305ए BNS थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त आलोक कुमार गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 314/2024 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस।